रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062023-246571
CG-DL-E-15062023-246571

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 350] नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2023/ज्येष्ठ 24, 1945
No. 350] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2023/JYAISHTHA 24, 1945

## विद्युत मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2023

**सा.का.नि. 437(अ).**—केंद्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (1), उप धारा (2) के खंड (य) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 में, और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है), के नियम 5 के, उप नियम (5) में, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(5) सभी प्रकार के स्मार्ट मीटरों की दिन में कम-से-कम एक बार दूरस्थ रीडिंग की जाएगी तथा अन्य प्री-पेमेंट मीटरों की, किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक तीन माह में कम-से-कम एक बार रीडिंग की जाएगी तथा ऊर्जा खपत संबंधी डाटा को वेबसाइट या मोबाइल एप्लिकेशन या शॉर्ट मैसेज सर्विस और इसी तरह की सर्विस आदि के माध्यम से, उपभोक्ता को उपलब्ध कराए जाएंगे। परंतु स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर रखने वाले उपभोक्ताओं को उनके द्वारा की गई खपत और दैनिक आधार पर कम से कम अतिशेष रकम की जांच करने के लिए डाटा एक्सेस प्रदान किया जा सकता है।

(5क) स्मार्ट मीटरों की संस्थापना के पश्चात, संस्थापना तारीख से पूर्व की अवधि के लिए, स्मार्ट मीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(5ख) यदि स्मार्ट मीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई अधिकतम मांग, एक मास में संस्वीकृत भार से अधिक हो जाती है, तो उस बिलिंग चक्र के लिए बिल की गणना वास्तविक रिकार्ड की गई अधिकतम मांग के आधार पर की जाएगी और उपभोक्ताओं को शॉर्ट मैसेज सर्विस या मोबाइल एप्लिेशन के माध्यम से गणना में इस परिवर्तन के बारे में सूचित किया जाएगा:

परंतु यह कि संस्वीकृत भार, यदि कोई हो, का पुनरीक्षण वास्तविक रिकार्ड की गई अधिकतम मांग के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा:

(क) रिकॉर्ड की गई अधिकतम मांग में वृद्धि के मामले में, मासिक अधिकतम मांग में से सबसे कम, जहां रिकॉर्ड की गई अधिकतम मांग एक वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम तीन बार संस्वीकृत भार सीमा से अधिक हो गई है, पुनरीक्षित संस्वीकृत भार के रूप में मानी जाएगी, और वही अगले वित्तीय वर्ष में बिलिंग चक्र से स्वचालित रूप से रीसेट हो जाएगी; और

(ख) अधिकतम मांग में कमी के मामले में, संस्वीकृत भार का पुनरीक्षण संबंधित विनियामक आयोग द्वारा जारी आपूर्ति कोड/मानक प्रचालन क्रिया पद्धतियों के अनुसार किया जाएगा।

3. मूल नियमों में, नियम 8 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-

(8क) **टाइम ऑफ डे टैरिफ** - दस किलोवाट से अधिक अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ पहली अप्रैल, 2024 से पहले की तारीख से प्रभावी होगा और अन्य उपभोक्ताओं के लिए, कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर, टाइम ऑफ डे टैरिफ पहली अप्रैल, 2025 से पहले प्रभावी बनाया जाएगा; और यह टाइम ऑफ डे टैरिफ, स्मार्ट मीटरों वाले उपभोक्ताओं के लिए, स्मार्ट मीटरों की संस्थापना के ठीक पश्चात प्रभावी हो जाएगा।

परंतु यह कि, दिन की व्यस्ततम अवधि के दौरान वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट टाइम ऑफ डे टैरिफ, सामान्य टैरिफ के 1.20 गुना से कम नहीं होगा और अन्य उपभोक्ताओं के लिए, यह सामान्य टैरिफ के 1.10 गुना से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि, राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट, दिन के सौर घंटों के लिए टैरिफ, उस श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए सामान्य टैरिफ से कम से कम बीस प्रतिशत कम होगा:

परन्तु यह भी कि सामान्य टैरिफ के ऊर्जा प्रभार घटक पर टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू होगा:

परन्तु यह भी कि व्यस्ततम घंटों की अवधि राज्य आयोग या राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा अधिसूचित सौर घंटों से अधिक नहीं होगी।

**स्पष्टीकरण: -** इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "सौर घंटे" पद से राज्य आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट एक दिन में आठ घंटे की अवधि अभिप्रेत है।

(8ख) **टैरिफ प्रदर्शन** - प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ, वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और उपभोक्ताओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट के साथ-साथ ऊर्जा बिलों या शॉर्ट मैसेज सर्विस या मोबाइल एप्लिकेशन और इसी प्रकार की सर्विस आदि के माध्यम से कम से कम एक मास पूर्व, ईंधन अधिभार और अन्य प्रभारों को छोड़कर, टैरिफ में परिवर्तन अधिसूचित किया जाएगा।"

[फा. सं. 23/05/2020-आरएंडआर]

पीयूष सिंह, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 818(अ), तारीख 31 दिसंबर, 2020, संख्यांक सा.का.नि. 448 (अ), तारीख 28 जून, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा संख्यांक सा.का.नि. 306(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2022 द्वारा **अंतिम बार** संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF POWER**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2023

**G.S.R. 437(E).—**In exercise of the powers conferred under sub-section (1), clause (z) of sub-section (2) of section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, namely:-

1. (1) These rules may be called the Electricity (Rights of Consumers) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Electricity (Rights of Consumers) rules, 2020 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 5, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(5) All types of smart meters shall be read remotely at least once in a day and the other pre-payment meters shall be read by an authorised representative of the distribution licensee at least once in every three months and the data regarding energy consumption shall be made available to the consumer, through website or mobile application or Short Message Service and the like, provided that the consumers having smart pre-payment meters shall also be given the data access for checking their consumption and balance amount atleast on daily basis.

(5A) After the installation of smart meters, no penalty shall be imposed on the consumer, based on the maximum demand recorded by the smart meter, for the period before the installation date.

(5B) In case maximum demand recorded by the smart meter exceeds the Sanctioned Load in a month, the bill, for that billing cycle, shall be calculated based on the actual recorded maximum demand and consumers shall be informed of this change in calculation through Short Message Service or mobile application:

Provided that the revision of the Sanctioned Load, if any, based on the actual recorded maximum demand shall be as under:

(a) in case of increase in recorded maximum demand, the lowest of the monthly maximum demand, where the recorded maximum demand has exceeded the sanctioned load limit atleast three times during a financial year, shall be considered as the revised Sanctioned Load, and the same shall be automatically reset from the billing cycle in next financial year; and

(b) in case of reduction of maximum demand, the revision of sanctioned load shall be done in accordance with the Supply codes/ Standard Operating Procedures issued by the respective Regulatory Commission.

3. In the principal rules, after rule 8, the following rules shall be inserted, namely:-

(8A) **Time of Day Tariff**.-The Time of Day tariff for Commercial and Industrial consumers having maximum demand more than ten Kilowatt shall be made effective from a date not later than 1st April, 2024 and for other consumers except agricultural consumers, the Time of Day tariff shall be made effective not later than 1st April, 2025 and a Time of Day tariff shall be made effective immediately after installation of smart meters, for the consumers with smart meters:

Provided that, the Time of Day Tariff specified by the State Commission for Commercial and Industrial consumers during peak period of the day shall not be less than 1.20 times the normal tariff and for other consumers, it shall not be less than 1.10 times the normal tariff:

Provided further that, tariff for solar hours of the day, specified by the State Commission shall be atleast twenty percent less than the normal tariff for that category of consumers:

Provided also that the Time of Day Tariff shall be applicable on energy charge component of the normal tariff:

Provided also that the duration of peak hours shall not be more than solar hours as notified by the State Commission or State Load Despatch Centre.

**Explanation:-** For the purposes of this rule, the expression "solar hours" means the duration of eight hours in a day as specified by the State Commission.

(8B) **Display of Tariff**.-The tariff for each category of consumers shall be displayed on distribution licensee's website and consumers shall be notified of change in tariff excluding fuel surcharge and other charges, at least one month ahead of time, through distribution licensee's website as well as through energy bills or Short Message Service or Mobile Application and the like."

[F. No. 23/05/2020-R&R]

PIYUSH SINGH, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide n*umber G.S.R. 818(E), dated the 31st December, 2020, *vide n*umber G.S.R. 448 (E), dated 28th June, 2021 and last amended vide number G.S.R. 306(E), dated 20th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.